



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय
Office of the Principal Chief Commissioner of Income Tax,
आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना/Andhra Pradesh & Telangana,
10 वी मंजिल डी ब्लॉक आयकर शिखर/ 10th Floor, D Block, Income tax Towers,
ए सी गार्ड्स हैदराबाद/ AC Guards, Hyderabad.
Ph.No. 040 23425482 Fax. No.040-23236778.

F.No.Pr.CCITAP&TS/WEL/Circular/2022-23

दिनांक /Date:13.04.2022

परिपत्र / Circular

वह अधिकारी और कर्मचारी जो मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं, और रमजान के पवित्र महीने (07/04/2022 से 02/05/2022 तक) के दौरान उपवास रखते हैं, उन्हें अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए शाम 4:00 बजे तक कार्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाती है। / The officers and staff belong to Muslim Religion, who observe fast during the Holy month (from 07/04/2022 to 02/05/2022) of Ramzan are permitted to leave the office by 4:00 pm under the intimation to their immediate superior officers.

यह परिपत्र प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र, हैदराबाद के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है। / This Circular is issued with the prior approval of the Pr. Chief Commissioner of Income-Tax, Andhra Pradesh & Telangana region, Hyderabad.

(धीरज कुमार /DHEERAJ KUMAR)

आयकर अधिकारी (कल्याण) (मुख्यालय)/Income Tax Officer (Hqrs)(Wel)
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, हैदराबाद / O/o. Pr. CCIT, Hyderabad.

प्रतिलिपि / Copy to:-

1. सभी कार्यालय प्रमुख, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र, हैदराबाद / All the Heads office, Andhra Pradesh & Telangana region, Hyderabad.
2. आयकर शिखर /आयकर भवन/सिग्नेचर टावर/सीजीओ टावर कविदिगुड़ा, हैदराबाद में नोटिस बोर्ड / Notice Boards at IT Tower/Aayakar Bhavan/Signature Tower/CGO Tower Kavdiguda, Hyderabad.
3. महासचिव (आईटीईएफ) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हैदराबाद / General Secretary (ITEF) Andhra Pradesh & Telangana, Hyderabad.